

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग राजस्थान जयपुर
क्रमांक :- एफ.3(ख)/(बी-125/88)अलेसे-11/17083-17093 दिनांक :- 23-3-15

कार्यालय आदेश

श्री भंवर लाल जाट, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, हाईड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, बीकानेर ने नाम परिवर्तन की सूचना राजस्थान राज पत्र दिनांक 13.11.2014 के अंक 33 पर भाग 7 पर तथा बन्ध पत्र की सूचना का दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक 25.09.2014 के पृष्ठ संख्या 16 पर प्रकाशित होने पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 8 के निर्णय 5 के अनुसरण में उनका नाम "भंवर लाल जाट" के स्थान पर "भंवर लाल नेहरा" किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

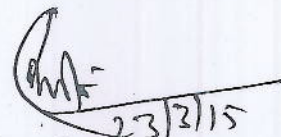
भविष्य में "श्री भंवर लाल जाट" के स्थान पर "भंवर लाल नेहरा" के नाम से जाना जावेगा।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ख)/(बी-125/88)अलेसे-11/17083-17093 दिनांक :- 23-3-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, बीकानेर।
2. कोषाधिकारी, बीकानेर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, हाईड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, बीकानेर।
4. श्री भंवर लाल नेहरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, हाईड्रोलॉजी एवं वाटर मैनेजमेंट इन्स्टीट्यूट, बीकानेर।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदय, कोष एवं लेखा।
6. उप निदेशक, ए.सी.पी. हाजा।
7. पदस्थापन सीट/गोपनीय शाखा/वरिष्ठता सीट।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


23/3/15
(डा.नोपाराम पारीक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

Link No. 4912